



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18032020-218737
CG-DL-W-18032020-218737

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, मार्च 1—मार्च 7, 2020, शनिवार/फाल्गुन 11—फाल्गुन 17, 1941
No. 04] NEW DELHI, MARCH 1—MARCH 7, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 11—PHALGUNA 17, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

आ. अ.14.—यतः, मिजोरम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/66/2018 दिनांक 6.10.2018 के तहत की गई थी। अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी:

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है;

और यतः, 27-तुइकुम (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबद्ध रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार निर्वाचन व्ययों के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सेरछिप जिला, मिजोरम द्वारा प्रस्तुत, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 19.08.2019 के पत्र संख्या एच.11016/2/2019-सीईओ, के तहत अग्रेषित दिनांक 30.07.2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री लालनुनमाविया छाकछुआक, जो मिजोरम के 27-तुइकुम (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सेरछिप जिला, मिजोरम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री लालनुनमाविया छाकछुआक को निर्वाचन संबंधी व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 16.09.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, दिनांक 16.09.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, श्री लालनुनमाविया छाकछुआक को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखों को प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को प्रस्तुत करने और निर्वाचन व्यय संबंधी अपने लेखों को दाखिल करने/अपने लेखों में कमियों को संशोधित करने और इन्हें इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लिखित में निदेश दिया गया था;

और यतः, उक्त नोटिस श्री लालनुनमाविया छाकछुआक ने दिनांक 14.10.2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सेरछिप द्वारा अपने दिनांक 03.01.2020 के पत्र संख्या ई.11018/35/2018-डीसी (एसआरसीपी) के तहत आयोग को प्रस्तुत की गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सेरछिप जिला ने अपने दिनांक 17.02.2020 के पत्र संख्या ई.11018/35/2018-डीसी (एसआरसीपी) के तहत अनुपूरक रिपोर्ट में बताया है कि श्री लालनुनमाविया छाकछुआक ने आज की तारीख तक अपना कोई भी अभ्यावेदन अथवा मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन संबंधी व्ययों का सही लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी अपनी उक्त विफलता के संबंध में न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लालनुनमाविया छाकछुआक अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह निर्धारित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निश्चित समय के भीतर और इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अपेक्षित रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि मिजोरम राज्य के 27 – तुइकुम (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के लिए भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लालनुनमाविया छाकछुआक, निवासी म.नं. ए-11, जीमाबॉक, एजवाल, मिजोरम – 796017 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी

भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[सं. 76/मिजो-वि.स./27/2018]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2020

O.N. 14.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule Date of Counting was 11.12.2018:

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of the returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officers including 27-Tuikum (ST) Assembly Constituency on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019;

AND WHEREAS, as per the report dated 30.07.2019 submitted by the District Election Officer, Serchhip District, Mizoram, and forwarded by the Chief Electoral Officer vide his letter No. H.11016/2/2019-CEO dated 19-08-2019, Shri Lalnunmawia Chhakchhuak, a contesting candidate of Bharatiya Janata Party from 27-Tuikum (ST) Assembly Constituency of Mizoram, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Serchhip District, Mizoram and the Chief Electoral Officer, Mizoram, a Show-Cause Notice dated 16.09.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Lalnunmawia Chhakchhuak for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 16.09.2019, Shri Lalnunmawia Chhakchhuak was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same with the District Electoral Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Lalnunmawia Chhakchhuak on 14.10.2019. Acknowledgement receipt so obtained from the candidate have been submitted to the Commission by the District Election Officer, Serchhip vide his letter No. E.11018/35/2018-DC(SRCP) dated 03.01.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report the District Election Officer, Serchhip District vide his letter No. 11018/35/2018-DC(SRCP) dated 17.02.2020 has stated that Shri Lalnunmawia Chhakchhuak, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Lalnunmawia Chhakchhuak has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Lalnunmawia Chhakchhuak, resident of H. No. A-11, Zemabawk, Aizawl, Mizoram-796017 and the contesting candidate of Bharatiya Janata Party for the General Election to the Legislative Assembly, 2018, from 27-Tuikum (ST) Assembly Constituency of the State of Mizoram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/MIZ-LA/27/2018]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.